


आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No- 11-306/2014 -FC Date 28.08.2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 941/X-4-18/1-05 (04)/2014 Date 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा- 11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने के उपरान्त कार्यादेश के लिये केवल 01 वर्ष के लिये अधिकृत किया गया है जिसके क्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण संडक योजना के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (22.2165 है०) की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं०- F.No-05 B/U.C.P/06/80/2020/F.C./1415 Date 30.09.2020 के द्वारा प्राप्त हो गई थी जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1450/12-1 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं०- F.No- 05 B/U.C.P/06/80/2020/F.C./1015 Date 16.11.2020 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित होना प्रकियाधीन है इस दशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है के क्रम में आतिथि तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है उपरोक्त सभी शासनादेश के अनुपालन में प्रधानमंत्री ग्रामीण संडक योजना के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (22.2165 है०) प्रस्ताव क्रमांक- (FP/UK/ROAD/43650/2019) कार्य को विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार का कार्य वन संरक्षण अधिनिय 1980 यथा संशोधित एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 यथा संशोधित का उल्लघन माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यावाही अमल में लायी जायेगी।


उप-निदेशक
गोविन्द जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तराखण्ड)

कार्यालय-उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०. 01373-223433, Email-gwlsपुरोला@gmail.com

पत्रांक 1886 /12-1

पुरोला


दिनांक 26/3/2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखण्ड, देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला को इस आशय से प्रेषित की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व यदि किसी प्रकार का कार्य किया जाये तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी तथा उक्त के अतिरिक्त कोई कार्यादेश उपलब्ध हो तो अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. वन क्षेत्राधिकारी सांकरी रोज, सांकरी को इस निर्देश से प्रेषित की उक्त आदेश का अनुपालन करते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

I.T.G.C
द. अपलोड कर
पेजी कर
CCF
2/1/14


(डी०पी० चेलूनी)
उपनिदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी